प्रेस नोट–216/2026
दिनांक 20.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जहाँगीरगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद**

दिनांक 20.04.2026 को थाना जहाँगीरगंज, थाना जलालपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तिलकटांडा पुल के पास से 06 अभियुक्तों 1–अरमान उर्फ पहलवान उर्फ छोटू 2–मो0 शाहिद 3–शिवनन्दन 4–मनीष 5–आयुष 6–अभिषेक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.04.2026 को थाना जहाँगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहाँगीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरमान उर्फ पहलवान उर्फ छोटू निवासी पकुआडीह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

2–मो0 शाहिद निवासी मुंडेरा रसूलपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।

3–शिवनन्दन निवासी सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

4–मनीष निवासी दूराजपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

5–आयुष निवासी मण्डी के पीछे बसखारी थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर।

6–अभिषेक निवासी अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लूट के 05 लाख 45 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 02 कार आदि।

जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 20.04.2026 को थाना संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त ललित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ललित निवासी चक्रधरपुर थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली कायमगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 35 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.04.2026 को थाना कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिरियन तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–सौरभ उर्फ अंशु 2–कार्तिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 35 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.04.2026 को थाना कोतवाली कायमगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कायमगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सौरभ उर्फ अंशु निवासी पटवन गली थाना कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

2—कार्तिक निवासी पटवन गली थाना कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1—भारी मात्रा में चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी के 35 हजार रूपये नगद।

जनपद चन्दौली/थाना बबुरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 03 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनांक 20.04.2026 को थाना बबुरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अशोक नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—शत्रुधन 2—शिवप्रधान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 03 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा, 01 पिकअप वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बबुरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शत्रुधन निवासी ग्राम सरिया थाना सरिया जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।

2—शिवप्रधान निवासी सरिया थाना सरिया जनपद रायगढ़ छत्तीसगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1–01 कुन्तल 03 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

2–01 पिकअप वाहन।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नरेन्द्र को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————